

10/12/21

पत्रावली का उद्देश्य जज के वरिष्ठ
ऑफिसर सिविल जज पंचायत मुख्यालय
राजगीर का गैल प्रेस डुप्लीकेशन व
पत्रावली पर उपलब्ध डेटा का ऑनलाइन
फिलिंग जमा तथा मजिस्ट्रेट को जानकारी दी
गयी है कि चारक तहसील गुरुदासपुर
का अग्रत है कि विवादित आराजी रजिस्ट्रीय
रकाने में विवायचक दर्ज है, उक्त रकाने पर
आदेशिका का कपी कब्जा काबिल रहा। माननीय न्यायालय
राजस्थान न्याय न्याय मजिस्ट्रेट के निर्देश 2008 RRD 55
जारीय कानून जयपाल 2008 RRD 58 परसाराय बनध
स्टेट है जारित निर्दिष्टाकार विवायचक रकाने पर रजिस्ट्रीय
रकाने को प्रोद्घत नहीं होते। इसी प्रकार माननीय राजस्थान
न्याय न्याय के निर्देश स्टेट को न्याय न्याय कानून
गुमानाराय 2004 RRD 110 के अनुसार कतिचारी घोषणा
का दावा नहीं ला सकता। माननीय न्यायालय राजस्थान
न्याय न्याय के निर्देश दिवपाल कानून डिस्ट्रिक्ट
कोरेस्ट कोफिसर 2002 RRD 241, 2002(1) RRD 535
के अनुसार कतिचारी को ट्कायी या कल्काई विवेका
जारी नहीं भी जा सकती। आदेशिका उक्त रकाने
की कानून के कतिचारी करेगा तथा कतिचारी को
जारी रखेगा। माननीय राजस्थान न्याय न्याय मजिस्ट्रेट
उक्त निर्देश निर्देश में उक्त रकाने के
मध्य नजर रखते हुए न्यायालय इस कतिचारी पर
पहुंची है कि आदेशिका कतिचारी को ट्कायी या कल्काई
रकाने करे रकाने की कानून के कतिचारी नहीं
करे कतिचारी न्यायालय द्वारा जारी कतिचारी
निवेदन डिस्ट्रिक्ट 13/09/2019 निवेदन की
जाकर आदेशिका को जारीय फंड कल्काई
कर रकाने फिलिंग जाता है। पत्रावली निर्देश
सुमार डेकर मूल कांड के साथ नटपी है।

जज
सहायक कलेक्टर, गुरुदासपुर

